राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23 (1) लेखा/आकाशि/( )छात्रवृति/2010–11/ दिनांक 14.7.2010

विषय : आयुक्त, कॉलेज शिक्षा जयपुर द्वारा दी जाने वाली उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में ।

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर द्वारा नियमित अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रकार की उत्तरमैट्रिक़ छात्रवृत्तियां स्वीकृत की जाती है । जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

1. **आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति :–**

नूतन : यह छात्रवृति राजस्थान के छात्र जिन्होने 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंको से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा संचालित सैकेण्डरी/हायर सैकेण्डरी तथा उपाध्याय परीक्षा (संस्कृत) और स्नातक परीक्षा राजस्थान में स्थित महाविद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 20,000/– (अक्षरे–बीस हजार रू मात्र) तक हो को स्वीकृत की जाती है । इस हेतु 1200 अवार्डस निर्धारित है ।

छात्रवृति दर रू. 120/– प्रतिमाह एडमिशन तिथि (फीस जमा तिथि) से देय है। हॉस्टलर को रू. 200/– (रू दो सौ मात्र) प्रतिमाह । पी.जी. प्रवेश में रू. 240/– प्रतिमाह तथा हॉस्टलर को रू. 600/– प्रतिमाह रहने की तिथि से देय है ।

नवीनीकरण : जिन छात्र/छात्राओं को गत वर्ष नूतन छात्रवृति स्वीकृत की गई थी केवल वे ही छात्र/छात्राएं छात्रवृति हेतु आवेदन कर सकते है । इस हेतु 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

छात्रवृति दर अप्रैल से जून तक रू. 120/–तथा रू. 180/–प्रतिमाह से जुलाई से मार्च तक देय है। हॉस्टलर को रू. 280/–प्रतिमाह देय है । पी.जी. फाइनल हेतु रू. 240/–प्रतिमाह तथा हॉस्टलर को रू. 600/– प्रतिमाह रहने की तिथि से देय है ।

बजट मद – 2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, 107–छात्रवृतियां, (01) छात्रवृतियां और वजीफा (आयोजना), 13–छात्रवृति और वजीफा (आयोजना)

इस छात्रवृति का भुगतान आयोजना मद से किया जाता है ।

2. **महिला योग्यता छात्रवृति :–**

नूतन :– इस छात्रवृति में सिनियर हायर सैकेण्डरी परीक्षा के आधार पर उच्चतर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्राओं को जिन्होने 60 प्रतिशत या अधिक अंक अर्जित किये हो तथा अभिभावकों की वार्षिक आय रूपये एक लाख या इससे कम हो वे ही इस छात्रवृति की पात्र होगी इसके लिए 1200 अवार्डस निर्धारित है।

छात्रवृति दर रू. 120/– प्रतिमाह एडमिशन तिथि (फीस तिथि) से देय है । हॉस्टलर को रू. 200/– (रू दो सौ मात्र) प्रतिमाह देय है । पी.जी. प्रवेश में रू. 240/– प्रतिमाह तथा हॉस्टलर को रू. 600/– प्रतिमाह रहने की तिथि से देय है ।

नवीनीकरण :– जिन छात्राओं को गत वर्ष नूतन छात्रवृति स्वीकृत हुई थी, नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकती है । इस हेतु उत्तीर्ण परीक्षा में 50 प्रतिशत प्राप्तांक होना अनिवार्य है ।

छात्रवृति दर अप्रैल से जुलाई तक रू. 120/– प्रतिमाह से तथा रू. 180/– प्रतिमाह से जुलाई से मार्च तक देय है । हॉस्टलर को रू. 280/– प्रतिमाह से देय है । पी.जी. फाइनल हेतु रू. 240/– प्रतिमाह तथा हॉस्टलर को रू. 600/– प्रतिमाह रहने की तिथि से देय है ।

बजट मद – 2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, 107–छात्रवृतियां, (01) छात्रवृतियां और वजीफा (आयोजना), 13–छात्रवृति और वजीफा (आयोजना)

3. **उर्दू छात्रवृति :–**

नूतन :– उर्दू भाषा को प्रोत्साहन देने हेतु यह छात्रवृति स्नातक स्तर पर केवल छात्राओं को उर्दू विषय (ऐच्छिक विषय) लेकर अध्ययन करने पर ही देय होगी । इस हेतु उतीर्ण परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य है । जो छात्र/छात्रा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में उर्दू विषय लेकर अध्ययन करेगें उन्हें भी यह छात्रवृति देय होगी । स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

डिग्री कक्षाओं में अध्ययनरत सभी छात्रों को छात्रवृति दर रू. 100/– (रू. एक सौ मात्र) प्रतिमाह देय है, तथा पी.जी. डिग्री में अध्ययनरत सभी छात्रों को रू. 150/– प्रतिमाह देय है ।

नवीनीकरण :– जिन छात्र/छात्राओं को गत वर्ष नूतन छात्रवृति स्वीकृत की गई थी मात्र वे ही छात्र/छात्राएं नवीनीकरण हेतु छात्रवृति के पात्र होंगे तथा उन्हें 50 प्रतिशत अंक एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

डिग्री कक्षाओं में अध्ययनरत सभी छात्रों को छात्रवृति दर रू. 100/– (रू. एक सौ मात्र) प्रतिमाह देय है, तथा पी.जी. डिग्री में अध्ययनरत सभी छात्रों को रू. 150/– प्रतिमाह देय है ।

बजट मद – 2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, 107–छात्रवृतियां, (02) –उर्दू विषय के छात्रों को छात्रवृति (आयोजना भिन्न), 13–छात्रवृति और वजीफा (आयोजना भिन्न)

4. **स्वतन्त्रता सैनानियों के बच्चों को देय छात्रवृति:–**

नूतन :– राजस्थान के स्वतन्त्रता सैनानियों के बच्चों/पोते/पोतियों जो किसी महाविद्यालय में अध्ययनरत एवं जिन्होनें गत वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तथा स्वतन्त्रता सैनानियों की वार्षिक आय 14,400/– से अधिक ना हो को यह छात्रवृति देय होगी । आवेदन पत्र के साथ आय एवं राजनैतिक पीड़ित होने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र में जिला दण्ड न्यायालय से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित महाविद्यालयों के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक है । छात्रवृति रू. 60/– (रू साठ मात्र) प्रतिमाह से देय है ।

नवीनीकरण :– जिन छात्र/छात्राओं को गत वर्ष नूतन छात्रवृति स्वीकृत हुई तथा परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही यह छात्रवृति देय होगी ।

बजट मद – 2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, 107–छात्रवृतियां, (01) –छात्रवृतियां और वजीफा (आयोजना भिन्न), 13–छात्रवृति और वजीफा (आयोजना भिन्न)

5. **मृत राज्य कर्मचारियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृति:–**

नूतन :– यदि राज्य सेवा में कार्य करते हुए किसी कर्मचारी का स्वर्गवास हो जाता है तो उनके बच्चे इस छात्रवृति के लिए पात्रता रखते है । राज्य सरकार के मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृति स्वीकृत की जाती है । छात्र का गत परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है । नूतन छात्रवृति आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में मृत्यु प्रमाण पत्र तथा राज्य सेवा में रहते हुए मृत्यु हुई –पद एवं विभाग का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है ।
स्नातक स्तर छात्रवृति रू. 500/– प्रति दस माह के लिए है तथा स्नातकोत्तर स्तर पर रू. 750/– प्रति दस माह के लिए देय है ।

नवीनीकरण :– प्रतिवर्ष छात्रवृति का नवीनीकरण पिछली कक्षा में उत्तीर्ण होने की शर्तो पर किया जावेगा ।
स्नातक डिग्री अध्ययन हेतु रू. 500/– प्रति दस माह के लिए तथा स्नातकोत्तर डिग्री अध्ययन हेतु रू. 750/– प्रति दस माह के लिए देय होगी ।

बजट मद – 2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, 107–छात्रवृतियां, (01) –छात्रवृतियां और वजीफा (आयोजना भिन्न)

6. **ललित कला छात्रवृति :–**

(अ) राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर

नूतन :– इस योजना के ही छात्र/छात्राएं आवेदन करने के पात्र होगे जिन्होंने राजस्थान संगीत संस्थान से मध्यमा/विषारद परीक्षा में 60 प्रतिशत से या अधिक अंक अर्जित कर विशारद/निपुण में प्रवेश लिया हो तथा माता–पिता आयकर दाता नहीं हो । विशारद को रू. 60/– प्रतिमाह और निपुण को रू. 120/– प्रतिमाह छात्रवृति देय होगी ।

नवीनीकरण :– छात्रवृति का नवीनीकरण पिछली कक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही छात्रवृति स्वीकृत की जावेगी । विशारद को रू. 60/– प्रतिमाह और निपुण को रू. 120/– प्रतिमाह छात्रवृति देय होगी ।

बजट मद – 2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, 107–छात्रवृतियां, (01) –छात्रवृतियां और वजीफा (आयोजना भिन्न), 13–छात्रवृति और वजीफा (आयोजना भिन्न)
ललित कला छात्रवृति :–

(ब) राजस्थान स्कूल ऑफ आर्टस, जयपुर

नूतन :– राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के फाउण्डेशन कोर्स मे 60 प्रतिशत या अधिक अंक अर्जित कर डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राएं ही आवेदन करने योग्य होगें तथा जिन छात्र/छात्राओं के माता–पिता आयकर नहीं देते हो । डिप्लोमा को रू. 60/– प्रतिमाह छात्रवृति देय होगी ।

नवीनीकरण :– नवीनीकरण हेतु विद्यार्थियों को गत वर्ष की उत्तीर्ण परीक्षा में 50 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है । डिप्लोमा को रू. 90/– प्रतिमाह छात्रवृति देय होगी ।

बजट मद – 2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, 107–छात्रवृतियां, (01) –छात्रवृतियां और वजीफा (आयोजना भिन्न), 13–छात्रवृति और वजीफा (आयोजना भिन्न)

7. **राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को छात्रवृति :–**

नूतन :– राजरथान के पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एवं राज्य में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु यह छात्रवृति प्रारम्भ की गई है । ऐसी उत्तीर्ण छात्राएं ही आवेदन की पात्र होगीं, जिनके माता–पिता आयकर दाता नहीं हो । आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से इस आयुक्तालय को निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक है । छात्रवृति दर रू 150/– प्रतिमाह एडमिशन तिथि से देय है ।

नवीनीकरण :– जिन छात्राओं को गत वर्ष में नूतन छात्रवृति मिली हो तथा इस वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की हो वे ही छात्रवृति की पात्र होगी । छात्रवृति दर रू. 150/–प्रतिमाह की दर से देय है ।

बजट मद – 2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, 107–छात्रवृतियां, 03–भुतपूर्व सैनिको की पुत्रियों को छात्रवृति (आयोजना भिन्न)

8. **कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृति :–**

नूतन :– कारगिल कार्यवाही में शहीद राजरथान के सैनिकों के आश्रितों के कल्याण एवं उन्हें उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देने हेतु यह छात्रवृति प्रारम्भ की गई है । महाविद्यालय की अनुशंषा किया हुआ आवेदन पत्र जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राज0 जयपुर को निर्धारित तिथि तक पहुंच जाना चाहिए । आवेदक को अन्य कोई छात्रवृति या ऋण मिल रहा हो तो यह छात्रवृति देय नहीं है। प्राप्त आवेदन पत्रों पर आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर द्वारा छात्रवृति रू. 300/– (रू तीन सौ मात्र) प्रति माह स्वीकृत कर सम्बन्धित शिक्षण संस्था को भेजी जावेगी ।

नवीनीकरण :– परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राएं ही इसके पात्र होंगे । छात्रवृति रू. 300/– प्रतिमाह देय है ।

9. **शोध छात्रवृति :–**

नूतन :– यह छात्रवृति राजस्थान के मूल निवासी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में शोध करने वाले छात्रों की दी जाती है । छात्रवृति राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर भेजी जाती है तथा स्वीकृति प्राप्त होने पर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा डिमाण्ड ड्राफट बनवाकर सम्बन्धित संस्था प्राचार्य को भेजे जाते है।

नवीनीकरण :– जिन छात्र/छात्राओं को नूतन छात्रवृति स्वीकृत हुई हो वे ही इसके पात्र होंगे। यह छात्रवृति भी राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती है तथा स्वीकृति प्राप्त होने पर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाकर सम्बन्धित संस्था प्राचार्य को भेजे जाते है।

10. **मिलिट्री देहरादून (भारतीय सैन्य महाविद्यालय देहरादून) छात्रवृति**

नूतन :– यह छात्रवृति राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर आयुक्तालय को भेजी जाती है । आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग में स्वीकृति प्राप्त होने पर डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाकर संस्था प्राचार्य को भेजे जाते है । छात्रवृति रू. 2,700/– वार्षिक देय है ।

नवीनीकरण :– जिन छात्र/छात्राओं को नूतन छात्रवृति स्वीकृत हुई हो वे ही इसके पात्र होगे। यह छात्रवृति भी राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती है तथा स्वीकृति प्राप्त होने पर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाकर सम्बन्धित संस्था प्राचार्य को भेजे जाते है । छात्रवृति रू. 2,700/– वार्षिक देय है ।

11. **भारत–पाक एवं चीन युद्ध में मृतक/अपंग सैनिकों के बच्चों/उनकी विधवाओं को छात्रवृति**

नूतन :– उपरोक्त युद्ध में मृतक अथवा अपंग सैनिकों के बच्चों/विधवाओं को एन्टाईटिलपेन्ट कार्ड के आधार पर छात्रवृति दी जायेगी । यह छात्रवृति स्नातक कक्षा तक ही देय है । यह छात्रवृति राजकीय/अराजकीय महाविद्यालयों अध्ययनरत छात्रा को दी जावेगी ।

नवीनीकरण :– जिनकों पूर्व में नूतन छात्रवृति स्वीकृत हुई हो तथा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र को ही नवीनीकरण छात्रवृति देय होगी ।

छात्रवृति आवेदन फार्म के साथ निम्नाकिंत प्रमाण पत्र/दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है :–

1. गत वर्ष 2010 में (वर्ष 2010–11 के लिए) उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका की सत्यापित प्रतिलिपि ।
2. आय प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2009–10 के सन्दर्भ में ।
3. प्रवेश प्रमाण पत्र वर्ष 2010 में जिस कक्षा में प्रवेश लिया है उसकी प्रवेश तिथि स्पष्ट करते हुए निर्धारित प्रपत्र में संलग्न करना आवश्यक है ।
4. छात्र यदि छात्रावास में रहता है तो छात्रावास में रहने का प्रमाण पत्र, छात्र के प्रवेश की तिथि व निवास करने की तिथि का प्रमाण पत्र फीस जमा रसीद की फोटो प्रति सत्यापित । यह प्रमाण पत्र वार्डन के हस्ताक्षर एवं प्राचार्य द्वारा प्रति हस्ताक्षरित मय मोहर के होना चाहिए ।
5. संस्था प्रधान/शहर व बैंक का नाम जिसके नाम से छात्रवृति का बैंक ड्राफ्ट भेजा जाना है। आवेदन पत्र के मुख्य पृष्ठ पर अंकित है ।

आय प्रमाण पत्र के प्रयोजनार्थ उल्लेख है कि :—

1. आय परीक्षण के प्रयोजन के लिए माता—पिता एंव छात्र सभी की आय को शामिल किया जावेगा ।

2. वेतनभोगी कर्मचारी आय का प्रमाण पत्र, नियोक्ता अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करे । वेतनभोगी कर्मचारियों की वार्षिक आय से आशय वेतन एवं समस्त भत्तों से है ।

3. पेंशन भोगी कर्मचारी पेंशन आदेश की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें साथ ही पेंशन एवं मंहगाई भत्तों का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें ।

4. अन्य स्रोतो से आय के मामले में आयकर लगने वाले व्यक्ति को आयकर विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य है जिसमें गत वर्ष की वास्तविक आय दर्शायी जानी चाहिए।

5. कृषि से आय के लिए राजस्व अधिकारी (तहसीलदार) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जिसमें गत वर्ष की (2009—10) की वास्तविक आय दर्शाना आवश्यक है ।

नोट :— (1) जिस छात्र को एक छात्रवृति मिल रही हो दूसरी अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृति देय नहीं है।

(2) छात्रवृति आवेदन फार्म पूर्ण एवं सही भरकर निर्धारित तिथि तक आयुक्तालय में जमा कराना आवश्यक है । अपूर्ण एवं अन्तिम तिथि बाद प्राप्त फार्मो पर विचार नहीं किया जावेगा । इसकी जिम्मेदारी संस्था प्रधान तथा आवेदक स्वंय की होगी ।

विशेष :— राजकीय महाविद्यालयों द्वारा आयुक्तालय को छात्रवृति भुगतान सम्बन्धी सूचना भिजवाने हेतु प्रोफार्मा :—
वर्ष 2010—11 हेतु आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग की स्कीम के तहत दी जा रही छात्रवृतियों का खर्चा — विवरण

क्र. सं	छात्रवृति का नाम	लाभान्वित छात्रों की संख्या	आवंटित बजट राशि	दिनांक 30—09—10 तक खर्च की गई राशि	शेष राशि	विशेष विवरण

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर

क्रमांक : एफ 23 (101) एन.सी.एम. / आकाशि / 09—10 / 982 to 901 दिनांक 14.7.2010

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर ।
3. संयुक्त निदेशक (छात्रवृति) आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर ।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर ।
5. समस्त राजकीय / मान्यता प्राप्त गैर राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान ।
6. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर, जोधपुर बीकानेर, अजमेर, कोटा और उदयपुर ।
7. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर / जे.एन. व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर / एम.एल. सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर / राज0 कृषि / महाराजा श्री गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर / कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को प्रेषित कर अनुरोध है कि आपके विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों / तथा अधीनस्थ महाविद्यालयों को सूचित कराने का श्रम करावें ।
8. निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राज0 जयपुर ।
9. स्टोरकीपर / कैशियर आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर ।
10. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (छात्रवृति)
कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर